19.03.2015 आवेदक अकबर उर्फ गोलू की ओर से श्री नफीस कुरैशी अधिवक्ता ।

शासन द्वारा श्री आर.एस. वर्मा, अति. लोक अभियोजक।

आवेदक ने धारा 439 दंप्रसं. के तहत प्रथम जमानत आवेदन पेश करना बताया है जिसके समर्थन में श्री नफीस कुरैशी अधिवक्ता ने स्वयं का शपथ पत्र पेश किया है।

जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये । आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक को दिनांक 26.2.15 को गिरफ्तार किया गया था, वह निर्दोष है। घटना दिनांक को फरियादी पुरूषोत्तम एवं अन्य लोगों ने मोहम्मद अनस एवं अन्य तीन–चार लोगों के साथ लोहे के पाईप, सरिये और लकड़ियों से जानलेवा हमला किया था जिससे मोहम्मद अनस, समद तथा जमील को गंभीर चोंटे आयी और उनका ईलाज चल रहा है। पुलिस थाना मोघट रोड खंडवा द्वारा मोहम्मद अनस की रिपोर्ट पर से फरियादी पुरूषोत्तम और अन्य के विरूद्ध भी धारा 307, 294, 323, 506, 147, 148, 149 एवं 336 भादंसं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आवेदक खंडवा का स्थायी निवासी है। उसके भागने अथवा फरार होने की आशंका नहीं है। उसके विरूद्ध जो अपराध दर्ज हुआ है वह आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय नहीं है अतः उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

शासन की ओर से जमानत आवेदन का विरोध करते हुए आवेदन निरस्त करने की प्रार्थना की है ।

कार्यालय उप पुलिस अधीक्षक अजाक खंडवा से थाना मोघट रोड के अपराध क्रमांक 108/15 धारा 307,147, 148, 149, 323, 506, 336 भादवि एवं धारा 3 (2) (पॉच) अजा./जजा. की केस डायरी भी मय कैफियत प्राप्त जिसका अवलोकन किया गया। अभियोजन कहानी के अनुसार दिनांक 24.2.15 की रात्रि दस बजे लक्कड़ बाजार खंडवा में फरियादी पुरूषोत्तम के चचेरे भाई अजय की शादी का रिसेप्शन हो रहा था। उनके घर के सामने रोड पर आरोपी इकबाल के घर तक चारों तरफ टेंट लगा हुआ था। रात्रि करीब दस बजे आरोपी इकबाल एवं उसके साथ समद/गोलु/फिरोज/आरिफ/रफीक/अनस एक राय होकर हाथ

में लकड़ी और लोहे के पाईप लेकर आये और फरियादी को कहा कि उसने आने–जाने का रास्ता क्यों नहीं दिया। इसी बात पर फरियादी को मॉ–बहन की गालियां दी तथा जबरदस्ती उसके कार्यक्रम में घुसकर खाना फेंकने लगे और फरियादी को तथा चंदन पासी, कलाबाई, आशाबाई, हीराबाई को लात घूंसों और डंडों से मारपीट करने लगे जिससे चंदन पासी के सिर में, दाहिने हाथ की उंगली एवं दाहिने पॉव में घुटनों के नीचे, कलाबाई की जांघ एवं पैर के घुटने एवं हीराबाई की पीठ में, आशाबाई की पीठ में व फरियादी को बांये हाथ की कोहनी पर चोंटें आयी। इसके बाद आरोपी समद ने जेब से चाकू निकाला और अनोखी को मारने सभी आरोपी दौड़े तथा समद ने जान से मारने की नियत से अनोखी की गर्दन पर चाकू से वार किया तो अनोखी पीछे हट गया और गिर गया। समद ने अनोखी को फिर से चाकू मारा तो उसके दाहिने पैर के पंजे में लगा जिससे चोंट आकर खून निकलने लगा। ऐसी रिपोर्ट फरियादी द्वारा लिखायी जाने पर आरोपीगण के विरूद्ध उपरोक्त अपराध दर्ज हुआ है।

तर्क में कहा गया है कि आरोपी पक्ष ने भी फरियादी पक्ष के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट लिखायी है जिसकी प्रति जमानत आवेदन के साथ पेश की है। उसके अनुसार फरियादी पक्ष पर भी धारा 307, 294, 323, 506, 147, 148, 149 तथा 336 भादवि का मामला पंजीबद्ध हुआ है।

केस डायरी में आहतों के चिकित्सकीय परीक्षण संलग्न है। आवेदक तथा कुछ अन्य के विरूद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 294, 323, 506 एवं 336 भादवि के साथ–साथ धारा 3 (2) (पॉच) अनु.जा. /जजा. एक्ट के तहत अपराध दर्ज हुआ है। उक्त अपराध आजीवन कारावास तक के दंड से दंडनीय है। मामला अभी विवेचना में है। इस प्रकार अपराध की प्रकृति को देखते हुए आवेदक को इस स्थिति पर जमानत पर छोड़ना उचित प्रतीत नहीं हो रहा है। अतः आवेदक की ओर से प्रस्तुत धारा 439 दंप्रसं का आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

केस डायरी आदेश की प्रति सहित वापस भेजी जाए ।

नतीजा दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जाए ।

(जी0एस0दुबे)
विशेष न्यायाधीश
अनु.जा./जजा. (अत्या.निवा.)
अधिनियम खंडवा